सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 194 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–08.07.2025

GCMS ID–2025 / 77

बउनवान

1. मांग्या आयु 76 वर्ष आ० श्री कालू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. छोटा आयु 72 वर्ष आ० श्री कालू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. प्रभु आयु 65 वर्ष आ० श्री कालू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. कजोड आ० श्री गोरू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. नन्दू पुत्री गोरू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
4. लावू आ० गोरू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
5. लालाराम आ० श्री गोरू जाति बलाई निवासी रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री विजय माहेश्वरी।

वकील अप्रार्थी :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक :–13 / 02 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया पटवार क्षेत्र जाखोली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे खाता स. 24 की कृषि भूमि ख.स. 183 / 155 रकबा 1.2950 हेक्टेयर ख.स. 204 / 155 रकबा 1.1331 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.4281 हेक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमिया प्रार्थीगण के पिता को आंवटित हुई थी। आवंटन के समय जिस स्थान पर प्रार्थीगण के पिता को आवंटित भूमियो का कब्जा दिया गया उसी स्थान पर प्रार्थीगण के पिता व प्रार्थीगण के पिता के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। भूमि ख.स. 155 करीब 40–45 बीघा का टुकडा है। पूर्व में उक्त भूमियो की तरमीम मौके पर राजस्व रिकार्ड में नहीं हो रही थी। प्रार्थीगण अपने कब्जे के अनुरूप उक्त 2.4281 हेक्टेयर भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। वर्ष 2023 में प्रार्थी प्रभुलाल ने उक्त भूमियो का हिस्से अनुरूप बंटवारा किए जाने का वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रस्तावित बंटवारा रिर्पोट मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को आदेश किया। न्यायालय के आदेश के तहत पटवारी हल्का व आईएलआर मौके पर उपस्थित हुऐ किन्तु मौके पर जहाँ प्रार्थीगण काश्त कर रहे थे उक्त स्थान राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अन्य की भूमि तरमीम होने के कारण बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका एंव पटवारी हल्का ने उक्त तरमीम दुरूस्त करवाऐ जाने के बाद ही वांछित बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना अपेक्षित होने का अंकन करते हुऐ रिर्पोट न्यायालय श्रीमान में पेश कर दी। उक्त रिर्पोट की प्रति प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय से प्राप्त करने के उपरान्त प्रार्थीगण को पता चला कि DILRMP योजना के तहत वन टू वन मेपिंग के दौरान बिना मौके की जांच किऐ प्रार्थीगण की भूमियो की तरमीम नक्शा ट्रेस में कर दी गई जबकि पूर्व में प्रार्थीगण की भूमियो की तरमीम नक्शा ट्रेस में नहीं हो रही थी। राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौके पर कब्जे की जांच किए व बिना प्रार्थीगण सुने प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमियो ख.स. 183/155 रकबा 1.2950 हेक्टेयर, ख.स. 204/155 रकबा 1.1331 हेक्टेयर की तरमीम कब्जे के अनुरूप नहीं की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होता है। प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के कब्जे के विपरित नक्शा ट्रेस में भूमियो की तरमीम कर दी गई है इस कारण गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार हिण्डोली को तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया किन्तु तहसीलदार हिण्डोली ने श्रीमान के समक्ष कार्यवाही पेश करने की बात कही इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त गलत तरमीम को निरस्त कराने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी स. 2 लगायत 4 भूमि ख.स. 155 के खातेदार होने व आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण को उक्त गलत तरमीम की जानकारी दिनांक 11.06.25 को प्रस्तावित बंटवारा रिर्पोट की

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नकल प्राप्त करने पर हुई। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। यह कि न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि ख.स. 183/155 रकबा 1.2950 हेक्टेयर, सा.स. 204/155 रकबा 1.1331 हेक्टेयर वाके ग्राम रामपुरिया की नक्शा ट्रेस में गलत रूप से दर्ज की गई तरमीम को दुरुस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुरूप नक्शा ट्रेस मे तरमीम किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किए जाने के आदेश दिए गए।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :–राजस्व/25/2880 दिनांक 08.10.2025 अनुसार खाता संख्या 24 के खसरा संख्या 183/155 व 204/155 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों की नक्शा लठ्ठा में तरमीम नहीं हो रही है। डी0आई0एल0आर0एम0पी0 योजना अन्तर्गत तरमीम हुई है। मुताबिक मौका स्थिति के संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाए अनुसार मौके पर वादीगण का कब्जा है। खसरा नम्बर 204/155 में प्रार्थीगण का आंशिक कब्जा ही जपाया गया है। मूल खसरा नम्बर 155 में प्रार्थीगण का मौके पर लगभग 5 बीघा भूमि पर ही कब्जा होना पाया है एंव खसरा नम्बर 183/155 के मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार सलंग्न नजरी नक्शा में दर्शाए अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 183/155 व 204/155 की गलत हो रही तरमीम की दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 183/155 व 204/155 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 24** के खसरा संख्या 183/155 व 204/155 वाके ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल जाखौलीखुर्द की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 24** के खसरा संख्या 183/155 व 204/155 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 13.02.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

13/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446